


कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- १५७

दिनांक :- ३१/०८/२५

॥ संशोधित कार्यालय आदेश ॥

इस न्यायालय के पूर्व आदेश क्रमांक ११९ दिनांक ३०.०८.२०२४ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ की धारा १२ सपठित धारा १३(२) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह सितम्बर २०२४ की रिमाण्ड ड्यूटी व प्रोटोकॉल ड्यूटी का आदेश प्रसारित किया गया था परन्तु टंकणीय त्रुटिवश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ की धारा १२ सपठित धारा १३(२) के स्थान पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४ सपठित धारा १५(२) टंकित हो गया है, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ की धारा १२ सपठित धारा १३(२) पढा जावे।


  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- १५८ — १५०

दिनांक :- ३१/०८/२५

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- ✓ १. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक।
२. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक।
३. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर लेख है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाइट पर अपलोड करें।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
टोंक (राजस्थान)